



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 09.10.2025

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 656/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ घोडा व बग्गी तथा घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 नं0 DL9SN8473 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.10.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री मोनू पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम लोयन मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसका घोडा व बग्गी चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 656/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 656/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुये प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है,

जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ घोडा व बग्गी तथा घटना में प्रयुक्त मो०सा० नं० DL9SN8473 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त मुकदमे में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-अनिकेत पुत्र प्रवीण निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-सावन पुत्र शैलेन्द्र निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-अभिषेक पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ घोडा व बग्गी।
- घटना मे प्रयुक्त मो०सा० नं० DL9SN8473

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री निकलेश रस्तौगी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-है०का० 358 बन्टी रावल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है०का० 787 गौरीशंकर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है०का०362 अमरजीत थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-का०984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।

बागपत पुलिस

थाना बिनौली



दिनांक 09.10.2025 को थाना बिनौली की मिशन शक्ति टीम को एक प्रार्थना प्राप्त हुआ कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है तथा खर्चा के लिए पैसे नहीं देता है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर उसके पति मनोज पुत्र राजेन्द्र निवासी फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 126/135/170 बीएनएसएस के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।

MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

